न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 80/2008/223 आर टी ए

1. गुरदेवसिंह पुत्र सिन्दूरासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. हरनेकसिंह पुत्र सिन्दूरासिंह (फौत)

2/1 जगसीर कौर पत्नि हरनेकसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2/2 बिन्द्र उर्फ बलविन्द्र पुत्र हरनेकसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2/3 गुरासिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2/4 वीरा उर्फ वीरपाल कौर पुत्री हरनेकसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. गुरजन्टसिंह पुत्र सिन्दूरासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। ––अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
3. मोदनसिंह पुत्र जंगीरसिंह (फौत)
4. जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. मुखत्यारकौर पत्नि स्व. मखनसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. राजासिंह पुत्र स्व. मखनसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मखनसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. बेअन्तसिंह पुत्र स्व. मखनसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. मुर्तिकौर पुत्री स्व. मखनसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. गुणोकौर पुत्री सिन्दूरासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. पाछोकौर पुत्री सिन्दूरासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. छोटो कौर पुत्री सिन्दूरासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. गुडडी कौर पुत्री सिन्दूरासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. छिन्दो पुत्री सिन्दूरासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। ––रेस्पोडेंटस

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2008 न्यायालय अपर जिला कलैक्टर हनुमानगढ़
प्र0सं0 85/2003 अनवानी सिन्दूरासिंह बनाम सरकार आदि

उपस्थित :–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री दिनेशकुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0
श्री कुलदीपसिंह ढिल्लों अधिवक्ता रेस्पो0
श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–18.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया कि वादी के पूर्वजो ने मौजा सिलवाला कलां मे हक आराजी खरीद किया हुआ था, हक हिस्सा के अनुसार वादी खसरा नं. 40 तादादी 98.13 बीघा मे से लगभग 13.00 बीघा भूमि पर बतौर मालिक निरन्तर कब्जा मे चला आ रहा है राजस्थान जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 प्रभावशील होने के समय वादी इस भूमि पर काबिज था इसलिए वह उसका खातेदार हो गया। वादी का कब्जा चक 644 आरडी व 1/ जीजीआर पुराना के प.न. 221/298 मु.न. 5 कि.न. 10/0.6, 11/1–02, 12/0.19, 13/0.12, 14/0.3, 16/0.10, की 7.18 बीघा व प.न. 220/298 मु.न. 6 कि.न. 4/0.1, 6/0.16, 7/0.18, 14ता 15, 17/3.00, 18/0.9 की 5.08 बीघा कुल 13.06 बीघा लेकिन उक्त खसरा जो काफी बड़ा था, मे अनेक काश्तकार मालिको व गैरमालिको का कब्जा था। मुरब्बा बन्दी किला बन्दी के समय फिटिंग मौका के कब्जा के अनुसार न होकर गलत हो गई तथा प.न. 221/298 की 7.18 बीघा भूमि तो वादी के नाम सही दर्ज हो गई परन्तु प.न. 220/298 मु.न. 6 की 5.08 बीघा भूमि जो वास्तव मे वादी के कब्जा काश्त की थी, के स्थान पर प.न. 222/298 का कि.न. 4, 5, 7 अवैध रूप से पैमूद कर दी गई जबकि यह भूमि वादी के वास्तविक कब्जा से दूर अन्य काश्तकारो के कब्जा काश्त मे थी। सन् 1970–71 के आस पास वादी के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि के संबंध मे विवाद हुआ, वादी ने खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 121/71 पेश किया जो दिनांक 09.08.71 को डिक्री हुआ। वादी अनपढ़ होने के कारण मुरब्बा किला का ज्ञान नही था। डिक्री के अनुसरण मे इन्द्राज करने का आदेश दिया गया परन्तु प.न 222/299 की उक्त भूमि अन्य काश्तकारो के नाम खातेदारी थी इसलिये वादी के नाम इसका इन्द्राज नही किया गया। गलत इन्द्राज के कारण प्रतिवादी सं. 2 ने वादी के प.न. 220/298 की भूमि बाबत नाजायज काश्त मानकर तावान तथा बेदखली का नोटिस दिनांक 03.11.81 को दिया, तब वादी ने पूर्व डिक्री व दावा की पड़पाल की तो उक्त भूल का ज्ञान हुआ तथा यह भी ज्ञात हुआ कि वास्तविक कब्जा काश्त की भूमि प.न. 220/298 के कि.न. 4/0.1, 6/0.16, 7/0.18, 13/0.4, 14, 15, 17/3.00, 18/0.09 कुल 5.08 बीघा भूमि वाके चक 644 आरडी राजस्व रिकार्ड मे राजकीय दर्ज हो गई यह भूल सद्भावी है और गलत रिकार्ड के कारण हुई है वादी अपने हक व हिस्से के अनुसार वर्तमान

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

भूमि पर अपने पूर्वज से लेकर निरन्तर काबिल चला आ रहा है वादी इस भूल का संशोधित करवाकर घोषणा करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय वाद वादी खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण/अपीलांट ने तनकी सं. 1 ता 4 को साबित करने का भार था जो उन्होने बखूबी साबित किया है कि मौजा सिलवाला कला के खसरा नं. 40 मे 98.13 बीघा रकबा था जिसमे लगभग 13 बीघा रकबा सिन्दूरासिंह के नाम बतौर मालिक दर्ज था, जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम जब लागू हुआ तब वादी के सिन्दूरासिंह इस भूमि पर काबिज था। मुरब्बाबंदी, किलाबंदी के समय यह भूमि चक 1/1 जीजीआर हाल चक 644 आरडी मे फिट हुई प.न. 221/298 की 7.18 बीघ भूमि काश्त के अनुसार सही दर्ज हो गई परन्तु प.न. 220/298 की 5.08 बीघा भूमि जो वादी के कब्जा मे थी फिटिंग के समय प.न. 222/299 दर्ज हो गया इस संबंध मे एक राजस्व वाद भी दायर किया था जो वादी के पक्ष मे डिक्री हुआ जो प्रदर्श 13 है जिसे प्रतिवादी पक्ष भी स्वीकार कर रहा है इसलिये अधिनस्थ न्याालय का निर्णय काबिले खारिज है। वादी/अपीलांट को वास्तविक मुरब्बा, किला नं. का ज्ञान ना होने से प.न. 222/299 का गलत रिकार्ड पेश हो गया और डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे सही पत्थर का इन्द्राज हो गया जबकि यह भूमि अन्य काश्तकार की खातेदारी थी। इस गलती की पड़ताल की ओर ज्ञान हुआ अब अपीलांट के पास व कब्जा काश्त मे प.न. 220/298 कि.न. 4, 6, 7, 13 ता 15, 17, 18 की 5.08 बीघा भूमि है जो वर्तमान मे चक 644 आरडी है। इस भूमि पर पूर्वजो से लेकर आज तक निरन्तर कब्जा है इसलिये वादी खातेदार काश्तकार है। अपीलांट एवं अपीलांट के पूर्वजो का जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम प्रभाव मे आया यानि सम्वत 2016 से पूर्व कब्जा काश्त मे थी जो निरन्तर कब्जे मे चली आ रही है इसलिए अपीलांट उक्त विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए पूर्व निर्णय प्रभाव मे होना मानते हुए वाद वादी खारिज कर दिया। जबकि पूर्व मे निर्णय मे यही त्रुटि होने के कारण वादी द्वारा पूर्व निर्णय मे संशोधन का अनुतोष चाहा गया था। प्रकरण मे रेस–ज्यूडिकेटा का सिद्धांत का लागू नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय का आधार लेते हुए वाद वादी खारिज किया गया ना की मेरिट पर किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2011(1) पेज 237, आरबीजे 1994 (1) पेज 304 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त कर वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया अपीलांट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट के पास व कब्जा काश्त मे प.न. 220/298 कि.न. 4, 6, 7, 13 ता 15, 17, 18 की 5.08 बीघा भूमि है जो वर्तमान मे चक 644 आरडी है। इस भूमि पर पूर्वजो से लेकर आज तक निरन्तर कब्जा है इसलिये वादी खातेदार काश्तकार है। अपीलांट एवं अपीलांट के पूर्वजो का जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम प्रभाव मे आया यानि सम्वत 2016 से पूर्व कब्जा काश्त मे थी जो निरन्तर कब्जे मे चली आ रही है इसलिए अपीलांट उक्त विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। वादी संधूरासिंह ने एक दावा संख्या 121/71 दायर किया था जिसका निर्णय दिनांक 09.08.71 को हुआ, निर्णयानुसार वाद वादी डिक्री हुआ और प्रश्नगत भूमि चक 1/1 जीजीआर के प.न. 221/298 कि.न. 10 से 14, 16 से 19, 24, 25 व प.न. 222/299 कि.न. 4, 5, 7 कुल 11.15 बीघा खातेदार माना। अपने ही दावा मे दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.12.81 को पेश किया जो कि दिनांक 01.03.84 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी मे खारिज हुआ, अब पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा वादी/अपीलांट लेकर आया। विवादित भूमि मे से प.न. 220/298 कि.न. 18 के 0.09 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त मोदनसिंह के वारिसान व भाईयो का था, मोदनसिंह व अजायबसिंह के फौत होने के बाद अब भूमि पर कब्जा मोदनसिंह व अजायबसिंह के वारिसान का है। प्रतिवादी के नाम प.न. 220/298 कि.न. 18 की 0.09 बिस्वा भूमि सही दर्ज है जो खातेदारी की है जिस पर मोदनसिंह के वारिसान काबिज है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट के पूर्वज संदूरासिंह ने वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ के यहां प्रस्तुत किया था जिसमे यह कथन किये कि वादी के पूर्वजो की रोही मौजा सिलवाला कलां मे हक आराजी खरीद किया हुआ था जिसके हक व हिस्सा के अनुसार वादी रोही खसरा नं. 40 तादादी 98 बीघा 13 बिस्वा मे से लगभग 13 बीघा भूमि पर बतौर मालिक निरंतर काबिज चला आ रहा है। राजस्थान जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभावशील होने के समय भ वादी इस भूमि पर काबिज रहा इसलिये वादी खातेदार काश्तकार हो गया एवं किलाबंदी के बाद भूमि का कब्जा चक आरबी 644 पुराना चक 1 जीजीआर प.न. 221/298 मु.न. 5 कि.न. 10/0.06, 11/1.00, 12/0.19, 13/0.12, 14/0.03, 16/0.10, 17 ता 19/3.00, 24/1.

00, 25/0.08 7 बीघा 18 बिस्वा एवं प.न. 220/298 मु.न. 6 कि.न. 4/0.01, 6/0.16, 7/0.18, 14, 15, 17/3.00, 18/0.09 कुल 5 बीघा 8 बिस्वा दोनो की कुल 13.06 बीघा भूमि मे पैमूद हुई। मुरब्बाबंदी, किलाबंदी के समय फिटिंग मौका के कब्जा अनुसार न होकर गलत हो गई और प.न. 221/298 की 7.18 बीघा तो वादी कब्जा काश्त के अनुसार सही दर्ज हुई परन्तु प.न. 220/298 मु.न. 6 की 5.08 बीघा जो वास्तव मे वादी के कब्जा काश्त मे थी के स्थान पर प.न. 222/290 का कि.न. 4, 5 व 7 अवैध रूप से पैमूद कर दी गई जबकि यह भूमि वादी के वास्तविक कब्जा से दूर अन्य काश्तकारो के कब्जा मे थी। सन् 1970–71 के आस पास वादी के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि के संबंध मे विवाद हुआ तो वादी ने खातेदारी घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 121/71 पेश किया जो दिनांक 09.08.71 को डिक्री हो गया।

6. वादी अनपढ़ किसान होने से वादी को वास्तविक मुरब्बा किला का ज्ञान नही होने से वादी ने प.न. 222/299 का गलत रिकार्ड पेश कर दिया परन्तु उक्त आराजी अन्य खातेदारान के नाम होने से प.न. 220/299 की भूमि का इन्द्राज वादी के नाम नही हुआ। इस गलत इन्द्राज के कारण नाजायज काश्त का नोटिस दिया तब जांच पड़ताल करने पर ज्ञात हुआ कि वादी का वास्तविक कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि प.न. 220/298 कि.न. 4/0.01, 6/0.01, 7/0.18, 13/0.04, 14, 15, 17/3.00, 18/0.09 कुल 5.08 बीघा वाके चक आरडी 644 राजस्व रिकार्ड मे आराजीराज दर्ज हो गई है। उक्त गलती सद्भाविक है इसलिये पूर्व वाद मे उक्त भूल को संशोधन करवाकर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने एवं इसी अनुसार इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। अपीलांट द्वारा किये उक्त कथन पत्रावली के अवलोकन से प.न. 220/298 के कि.न. 18 की 9 बिस्वा भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि बाबत सही प्रतीत होते है। विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्व निर्णय दिनांक 09.08.71 की तनकी सं. 2 के निर्णय के विवेचन मे यह अंकित किया है कि ''प्रतिवादी पैरोकार राज ने वादी को गैरदाखिलकार जवाबदावे मे माना है और गैरदाखिलकार इसी कारण बताया जाहिर होता है कि बिस्वेदार मालिक वादी का दादा रणजीतसिंह था मगर आराजी मुतनाखा जद्दी जायदाद होने के कारण वादी के हक व हिस्सा की है इसी हिस्से पर वह काबिज हैसियत मालिक बिस्वेदार सम्वत 2016 मे की थी जब मुद्दा. पैरोकार राज ने वादी को आ0मुत0 का गैर दाखिलकार माना है। इससे साफ है कि प्रति0 सरकार की वादी का सम्वत 2016 मे आ0मुत0 पर कब्जा तो मानती है मगर कब्जा बहैसियत मालिक बिस्वेदार नही माना है। इसी कारण उसे गैरदाखिलकार टिनेन्ट की श्रेणी मे लिया है। मगर वादी ने अपनी शहादत से साबित कर दिया है कि आ0मुत0 व उसके हक व हिस्से की थी और वक्त उन्मूलन बिस्वेदारी वह इस पर काबिज था इसलिये उसकी हैसियत खातेदारी की हो जाती है, ना ही गैरदाखिलकार की'' उक्त आधार पर तनकी सं. 2 के निर्णय मे वादी को खातेदार काश्तकार

घोषित कर दिया गया। मौजूदा वाद 08.03.1984 को प्रस्तुत किया जिसमे मात्र प.न. 222/299 की भूमि जो अन्य के कब्जा काश्त मे होने एवं वादीगण अपीलांट का अभिलेख मे उसका अमल दरामद नही होने से की जगह जरिये उद्घोषणा चक आरडी 644 प.न. 220/298 कि.न. 4, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18 की 5.18 बीघा पैमूद होने पर इस बाबत खातेदारी दिये जाने की उद्घोषणा की मांग की गई है।

7. निर्णय दिनांक 09.08.71 से वादी के दादा की भूमि होने से वक्त उन्मूलन बिस्वेदारी वादी को काबिज मानते हुए खातेदार मान लिया गया है परन्तु 5.08 बीघा भूमि के गलत रूप से पैमूद होने के कारण ही जो भूमि पूर्व दावा मे वादी के नाम की उद्घोषणा की थी वह किसी गुरदत्तसिंह आदि के नाम खातेदारी दर्ज होना प्रदर्श 12 से सिद्ध होता है। अपीलांट/वादी द्वारा दुरूस्ती हेतु धारा 152 सीपीसी का आवेदन भी प्रस्तुत किया जाना सिद्ध होता है परन्तु वह अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज होना सिद्ध होता है जिस पर गुणावगुण पर निर्णय पारित नही होने से रेस–ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू नही होता है जैसा कि न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011 (1) पेज 237 मे प्रतिपादित किया गया है। उक्त आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 का निर्णय विधिक रूप से पारित नही किया है जो निरस्त किया जाता है। जहां तक तनकी सं. 2 का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने प.न. 222/299 की भूमि अन्य काश्तकारान के नाम खातेदारी दर्ज होनी सिद्ध मानी है एवं उस भूमि का अमल दरामद भी वादीगण ने नही करवाया एवं सम्भव भी नही है। ऐसी स्थिति मे 1994 आरबीजे पेज 304 मे प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसरण मे जिसमे यह अवधारित किया है कि ''The ends of justice are not confined only to the legal technicalities. Legal procedures aim at justice, would it be just to deprive a poor man from the fruit of the agricultural land which legally belong to him and he has been forcibly disposed from the land by the mighty person ? No legal system or procedure would support depriving a person of his due.'' के अनुसरण मे वादी अपीलांट द्वारा पूर्व वाद संख्या 121/71 मे प.न. 222/299 की भूमि के बारे मे चाही गई उद्घोषणा प्रभावहीन हो जाती है एवं मौजूदा वाद मे उस भूमि के स्थान पर चक आरडी 644 की प.न. 220/298 की कि.न. 4, 6, 7, 13, 14, 15, 17 की भूमि की जो उद्घोषणा वादी/अपीलांट मांग कर रहे है वह उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष मे प्राप्त करने के अधिकारी है। इस हेतु विचारण न्यायालय कब्जा की पूर्व जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु स्वतंत्र है जहां तक प.न. 220/298 के कि.न. 18 की 0.09 बिस्वा भूमि का प्रश्न है इस हेतु विचारण न्यायालय द्वारा विवाधक स. 4 का निर्णय यथावत रखे जाने योग्य है।

8. तनकी सं. 3 का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ वादी गलत किया है क्योंकि वादीगण की भूमि गलत तरमीत होने से एवं काश्तकार के कतई अनपढ़ होने से सहबन भूमि के विवरण मे त्रुटि होना काश्तकार के मूलभूत अधिकारो को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार छिनना नही चाहिए। इसलिये प्रकरण के गुणावगुण को देखते हुये वादीगण की प.न.

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

, कि.न. गलती सद्भाविक रूप से हुई है क्योंकि कोई भी काश्तकार जानबूझकर अपने वास्तविक कब्जा काश्त की भूमि का विवरण गलत क्यों देगा। उक्ताधार पर विवाधक सं. 3 का निर्णय विचारण न्यायालय ने खिलाफ वादी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। तनकी सं. 5 वाद संख्या 121/71 मे भूमि प.न. 220/298 की अंकित ही नही है एवं धारा 152 सीपीसी के आवेदन पत्र का निर्णय गुणावगुण पर पारित नही किया गया है। इस कारण विवादक सं. 5 का निर्णय करते समय विचारण न्यायालय ने जो रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू मानते हुए इस विवादक का निर्णय वादी के विरूद्ध निर्णित किया है वह उचित नही है इस हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011 (1) मार्गदर्शन का काम करते है। जहां तक तनकी सं. 6 का प्रश्न है उद्घोषणा के वाद हेतु कोई मियाद निर्धारित नही है। जैसा कि आरआरडी 2017 पेज 148 पर अभिनिर्धारित किया गया है। इस प्रकार के तकनीकी बिन्दू पर किसी व्यक्ति को अपने मूलभूत अधिकारो से वंचित किया जाना उचित नही होने के कारण इस तनकी पर अधीनस्थ न्यायालय ने खिलाफ वादी निर्णय पारित किया है जिसमे हम सहमत नही है। इसलिये तनकी सं. 6 का निर्णय बहक वादी निर्णित होता है। विवादक सं. 7 व 9 के संबंध मे अन्तनिहित बिन्दूओ का तनकी सं. 1 के निर्णय मे दिनांक 09.08.71 के निर्णय से भूमि वादी के दादा की मानी जाने एवं उनकी खातेदारी होना भी अंकित किये जाने का उल्लेख होने से इन तनकीयात पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों मे चक 644 आरडी के प.न. 220/298 के कि.न. 4, 6, 7, 13, 14, 15, 17 की भूमि की हद तक प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

9. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2008 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि चक 644 आरडी के प.न. 220/298 के कि.न. 4/0.1 6/0.16 7/0.18, 13/0.4 14, 15, 17/3.00 की भूमि बाबत कब्जा की जांचकर पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो तथा कब्जा की रिपोर्ट के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.06.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ